

अध्याय सूचि हरियाणा सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 2016		देखिए पृष्ठ
अध्याय – I	प्रारंभिक	1
अध्याय – II	परिभाषाएं	5
अध्याय – III	पेंशन प्रदान करने के लिए सामान्य उपबंध	13
अध्याय – IV	पेंशन की अर्हक सेवा	21
अध्याय – V	पेंशन की विभिन्न किस्में और पेंशन प्रदान करने के लिए शर्तें	31
अध्याय – VI	पेंशन की राशि	37
अध्याय – VII	मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान	43
अध्याय – VIII	पारिवारिक पेंशन	49
अध्याय – IX	पेंशन से संबंधित प्रक्रिया	69
अध्याय – X	पेंशन का भुगतान	93
अध्याय – XI	पेंशन का सारांशीकरण	95
	प्ररूप एवं अनुबंध	105–167

<b>नियमों की सूचि</b> <b>हरियाणा सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 2016</b>	
<b>अध्याय – I</b>	<b>प्रारंभिक</b>
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
2.	लागू होना
3.	किसी विधि के अधीन अधिकार और विशेषाधिकार
4.	पेंशन या कुटुंब पेंशन के दावों का विनियमन
5.	इन नियमों से असंगत विशेष उपबंध, यदि कोई हों
6.	इन नियमों का निर्वचन, संशोधन और शिथिल करने की शक्ति
7.	नियमों का निरसन
<b>अध्याय – II</b>	<b>परिभाषाएं</b>
8.	परिभाषाएं
<b>अध्याय – III</b>	<b>पेंशन प्रदान करने के लिए सामान्य उपबंध</b>
9.	सरकारी कर्मचारी का अंतिम कार्य दिवस
10.	भविष्य में अच्छे आचरण के अधीन रहते हुए पेंशन "गंभीर अपराध""गंभीर कदाचार""प्रकाशन" "सूचना" वचनबंध
11.	पेंशन से सरकारी देयों या अन्य की वसूली
12.	नियुक्त प्राधिकारी को पेंशन रोकने या आहरण करने का अधिकार
13.	पेंशनों की संख्या की परिसीमाएं
<b>अध्याय – IV</b>	<b>पेंशन की अर्हक सेवा</b>
14.	पेंशन के लिए अर्हक सेवा
15.	पेंशन के लिए पूर्व सेवा का लाभ
16.	पश्चात्वर्ती नियुक्ति ग्रहण करने हेतु त्यागपत्र का एक तकनीकी त्यागपत्र होना
17.	अधिवर्षिता पेंशन के लिए अर्हक सेवा में विशेष परिवर्धन
18.	पेंशन के लिए सैनिक सेवा का लाभ
19.	अपील पर पुनः बहाली की दशा में पूर्व सेवा का लाभ
20.	विभिन्न स्टेशनों पर पश्चातवर्ती नियुक्ति पर सेवा में व्यवधान
21.	पेंशन के लिए पूर्व सेवा का समपहरण

22.	प्रतिकर या अशक्तता पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर को पुनर्नियोजन पर पूर्व सेवा का लाभ
23.	सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनः नियोजन का पेंशन के लिए अर्हक नहीं होना
<b>अध्याय – V</b>	<b>विभिन्न किस्म की पेंशन और पेंशन प्रदान करने के लिए शर्तें</b>
24.	पेंशन के प्रकार
25.	प्रतिकर पेंशन का अनुदत्त किया जाना
26.	अशक्तता पेंशन का अनुदत्त किया जाना निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995
27.	सेवानिवृत्ति पेंशन का अनुदत्त किया जाना
28.	अधिवर्षिता पेंशन का अनुदत्त किया जाना
29.	अनुकम्पा भत्ते का अनुदत्त किया जाना
<b>अध्याय – VI</b>	<b>पेंशन की राशि</b>
30.	पेंशन के लिए अर्हक सेवा की संगणना
31.	पेंशन की संगणना रुपये में और भारत में भुगतानयोग्य
32.	मासिक पेंशन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
33.	विहित आयु पूरा होने पर अतिरिक्त पेंशन
34.	पूर्ण पेंशन के लिए अर्हक सेवा
35.	पेंशन के बदले में सेवा उपदान
36.	सेवानिवृत्ति की तिथि को 'अवकाश पर 'या' निलंबन के अधीन 'होने की दशा में अंतिम परिलाभ
37.	सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में अंतिम परिलाभ
38.	विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति की दशा में अंतिम परिलाभ
39.	पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिए महंगाई राहत
<b>अध्याय – VII</b>	<b>मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान</b>
40.	मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान की दर तथा प्रात्रता
41.	मृत्यु-एवं सेवानिवृत्ति उपदान के लिए नामांकन
42.	नामांकित (नामांकितो) की मृत्यु की दशा में अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए प्रावधान
43.	नामांकन का अविधिमान्यकरण

44.	नामांकन का रद्दकरण
45.	व्यक्तियों जिनको मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान भुगतानयोग्य है
46.	परिवार के सदस्य या नामांकित का मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करने से वर्जन।
<b>अध्याय – VIII</b>	<b>पारिवारिक पेंशन</b>
47.	पारिवारिक पेंशन की अनुज्ञेयता
48.	पारिवारिक पेंशन का अवधारण
49.	बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन का अवधारण
50.	विहित आयु पूरी करने पर अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन
51.	पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन या एक ही समय दो पारिवारिक पेंशनों के लिए पात्रता
52.	आपराधिक कार्रवाईयों की दशा में पारिवारिक पेंशन का विनियमन
53.	सेवा में सम्मिलित होने के समय और समय-समय पर भी परिवार का आकार प्रस्तुत करना
54.	पेंशनभोगी की मृत्यु की दशा में अगले पात्र परिवार के सदस्य को पारिवारिक पेंशन
55.	न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन
56.	सेवानिवृत्ति-पश्चातवर्ती पति या पत्नी और बालकों को पारिवारिक पेंशन
57.	एक से अधिक विधवाओं को समान भागों में पारिवारिक पेंशन
58.	विधवा और दूसरी पत्नी के बालक को समान भागों में पारिवारिक पेंशन
59.	पारिवारिक पेंशन का विधवा और तलाक दी गई पत्नी के बालक को समान भाग
60.	विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अधीन अविधिमान्य विवाह के बालक को पारिवारिक पेंशन
61.	जुड़वां बालकों को पारिवारिक पेंशन
62.	नैसर्गिक या वस्तुतः संरक्षक के माध्यम से अवयस्क बालक को पारिवारिक पेंशन
63.	निःशक्त बालकों को पारिवारिक पेंशन
64.	मृतक सरकारी कर्मचारियों या पेंशन भोगी के माता या पिता को पारिवारिक पेंशन

65.	सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी जो गायब हो गया है के परिवार को परिवारिक पेंशन
66.	परिवारिक पेंशन से सारांशीकृत पेंशन मूल्य या सरकारी शोध्यों की वसूली नहीं।
<b>अध्याय – IX</b>	<b>पेंशन से संबंधित प्रक्रिया</b>
67.	पेंशन मामलों को उच्चस्तरीय प्राथमिकता देना
68.	सेवानिवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों की सूची तैयार करना
69.	पेंशन पेपरों के लिए तैयारी कार्य के प्रक्रम
70.	सेवा एवं परिलाभ का सत्यापन और सेवा पुस्तक में लोपों को दूर करना
71.	संबंधित सरकारी कर्मचारी से प्ररूप पेंशन-2 प्राप्त करना
72.	सरकारी आवास के संबंधी में बेबाकी प्रमाणपत्र (क) पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले कदम
73.	सरकारी शोध्यों का निर्धारण और उनकी वसूली
74.	प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा पर सेवानिवृत्ति या प्रतिनियुक्ति की दशा में पेंशन पेपरों की तैयारी और अग्रेषण
75.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को पेंशन पेपरों का अग्रेषण
76.	पेंशन पेपर अग्रेषित करने के पश्चात् होने वाली किसी घटना की सूचना
77.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा पेंशन और उपदान को प्राधिकृत करना
78.	पेंशन का पुननिर्धारण
79.	पेंशन और मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज
80.	वहां अनंतिम पेंशन प्रदान करना, जहां अनुशासनिक कार्रवाईयां लंबित नहीं हैं
81.	अनंतिम पेंशन जहां सेवानिवृत्ति के समय कार्रवाईयां लंबित हैं
82.	मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को पेंशन संबंधी लाभों की मंजूरी के लिए प्रक्रिया
83.	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की दशा में पेंशन मंजूरी प्राधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले कदम
84.	यदि मृतक के अधिभोग में सरकारी आवास था तो बेबाकी प्रमाणपत्र के लिए की जाने वाली कार्रवाई
85.	मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान के लिए मृतक सरकारी कर्मचारी की सेवा और परिलाभों का सत्यापन

86.	अपूर्ण सेवा की स्थिति में अभिलेख के अपूर्ण अनंतिम मृत्यु उपदान का भुगतान
87.	पारिवारिक पेंशन के लिए सेवा और परिलब्धियों का सत्यापन
88.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा द्वारा मृत्यु उपदान तथा पारिवारिक पेंशन के लिए उठाए जाने वाले कदम
89.	प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा के दौरान मृत्यु की दशा में मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान के भुगतान के लिए कार्रवाई।
<b>अध्याय – X</b>	<b>पेंशन का भुगतान</b>
90.	पेंशन आरम्भ करने की तिथि.
91.	पेंशन/पारिवारिक पेंशन का प्राधिकरण.
92.	पेंशन/पारिवारिक पेंशन और मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान का कालातीत और समपहरण
93.	उपदान और पेंशन के सारांशीकृत मूल्य का भुगतान.
94.	पेंशन भोगी की मृत्यु की दशा में विधिक उत्तराधिकारियों को बकायों का भुगतान।
<b>अध्याय – XI</b>	<b>पेंशन की संरांशीकरण</b>
95.	पेंशन के सारांशीकरण के लिए पात्रता
96.	पेंशन का सारांशीकरण की राशि की संगणना
97.	पेंशन के सारांशीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करना
98.	आवेदन पर कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाने वाली कार्रवाई
99.	पेंशन के सारांशीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति
100.	पेंशन का सारांशीकरण आत्यांतिक हो जाना
101.	चिकित्सा जांच के लिए संबंधित सरकारी कर्मचारी और सिविल सर्जन को संसूचना
102.	जहां आवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, चिकित्सा जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी
103.	अन्य मामलों में चिकित्सा जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी
104.	आवेदन का प्रत्याहरण
105.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा द्वारा की जाने वाली कार्रवाई
106.	पेंशन से सारांशित भाग की वसूली
107.	सारांशित मूल्य के भुगतान की सूचना

108.	अन्तिम पेंशन का सारांशीकरण जहां कार्रवाई लम्बित है
109.	भूतलक्षी प्रभाव से पेंशन का पुनः नियतन।